डिगरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम गुडामालानी (बाड़मेर) व
इजलास श्री सुनील कुमार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 144 / 19

वादीगण:–

1. वीरा पुत्र रूपा
2. सिदा पुत्र रूपा
3. वरीगा पुत्र जावता जाति विश्नोई निवासी नगर तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

प्रतिवादीगण :–

1. केसा पुत्र भगवाना
2. खंगारा पुत्र धूडा
3. सदाराम पुत्र धूडा
4. जगमाल पुत्र हरकेन
5. सुखराम पुत्र हरकेन
6. सदाराम पुत्र हरकेन
7. धनी पत्नी खंगारा
8. लाधूराम पुत्र चौथाराम
   जातियान विश्नोई निवासी नगर तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर
9. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया शाखा गुडामालानी
10. श्रीमान तहसीलदार गुडामालानी

दावा बाबत् अधिकारो की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक : 10.12.19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादीगण व हाजरी रामजीवन विश्नोई अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दई व प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण बाबूलाल विश्नोई अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादीगण का वाद जारिये राजीनामा स्वीकार कर सरहद मौजा नगर के वादग्रस्त खेत खसरा 532/4 रकबा 10–09 बीघा में से 03–00 बीघा व खसरा संख्या 532/5 रकबा 03–14 बीघा में से 01–10 बीघा कुल 04–10 बीघा भूमि माफिक राजीनामा के संलग्न परिशिष्ट 'अ' बरंग गुलाबी वादीगण की खातेदारी घोषित की जाकर डिक्री की जाती है। परिशिष्ट 'अ' डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार गुडामालानी राजस्व अभिलेख में इसी प्रकार अमलदारामद करे तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा भी जारी की जाती है कि वह वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार प्रतिवादीगण हस्तक्षेप नहीं करे। खर्चा पक्षकारन अपना–अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.12.19 को जारी की गई।

मुहर

(सुनील कुमार)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) गुडामालानी
दिनांक : 23/12/19

सहायक कलक्टर SDO (गुडामालानी)

क्रमांक: वाचक / 2019 / 4077

प्रतिलिपि : वास्ते पालनार्थ।

भूमिधारक तहसीलदार, गुडामालानी

(सुनील कुमार)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) गुडामालानी